# कारोनर अधिनियम, 1871

**(1871 का अधिनियम संख्यांक 4)**[1]

**[27 जनवरी, 1871]**

**कारोनरों से सम्बन्धित विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम**

**उद्देशिका**—प्रेसिडेंसी नगरों में कारोनरों से सम्बन्धित विधियों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है ; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**अध्याय 1**

## प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारोनर अधिनियम, 1871 है ।

[2]* * * * *

**2**. **[अधिनियमों का निरसन ।]**—निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) द्वारा निरसित ।

**अध्याय 2**

## कारोनरों की नियुक्ति

[3][**3. कलकत्ता और मुम्बई के कारोनर**—फोर्ट विलियम और मुम्बई के उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक कारोनर होगा । ऐसे कारोनरों को क्रमश: कलकत्ता का कारोनर और मुम्बई का कारोनर कहा जाएगा ।]

**4. उनकी नियुक्ति, निलम्बन और उनका हटाया जाना**—ऐसा प्रत्येक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और निलम्बित किया या हटाया जा सकेगा [4]*** ।

**5. कारोनरों का लोक सेवक होना**—प्रत्येक कारोनर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

**6. अन्य पदों को धारण करने की शक्ति**—कोई भी कारोनर सरकार के अधीन कोई भी अन्य पद साथ-साथ धारण कर सकेगा ।

**7. [कारोनरों द्वारा ली जाने वाली शपथ ।]**—भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 (1873 का 10) द्वारा निरसित ।

**अध्याय 3**

## कारोनरों के कर्तव्य और उनकी शक्तियां

**8. मृत्यु के संबंध में जांच करने की अधिकारिता**—जब कारोनर को यह [5][विश्वास करने का कारण हो] कि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, मानववध, आत्महत्या या अज्ञात कारणों से अकस्मात हुई है या कोई व्यक्ति, बन्दी रहते हुए, कारागार में मर गया है,

और उसका शव उस क्षेत्र के भीतर पड़ा है जिसके लिए कारोनर इस प्रकार नियुक्त किया गया है तब,

कारोनर मृत्यु के हेतुक की जांच करेगा ।

ऐसी प्रत्येक जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

---

[1] यह अधिनियम मुम्बई के प्रेसिडेंसी नगर में मुम्बई अधिनियम, 1930 (1930 का 13), बम्बई राज्य में मुम्बई अधिनियम, 1942 (1942 का 25) द्वारा और पश्चिमी बंगाल में बंगाल अधिनियम, 1944 (1944 का 7) द्वारा संशोधित किया गया ।

[2] इस धारा के स्थानीय विस्तार और प्रारम्भ के खंडों को क्रमश: 1881 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और 1874 के अधिनियम सं० 16 द्वारा निरसित किया गया ।

[3] 1889 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "प्रत्येक व्यक्ति जो अब ऐसा पद धारण किए है, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ समझा जाएगा" शब्द निरसित किए गए ।

[5] 1881 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा "सूचित किया जाता है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

**9. बन्दी की मृत्यु होने पर कारोनर का बुलाया जाना**—जब कभी किसी बन्दी की मृत्यु उस कारागार में होती है जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसके लिए कारोनर की इस प्रकार नियुक्ति हुई है तब, शव [1][की अंत्येष्टि क्रिया] से पूर्व, कारागार का अधीक्षक कारोनर को बुलाएगा । ऐसा न करने वाले अधीक्षक को, मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराए जाने पर, पांच सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

इस धारा के पूर्ववर्ती भाग की कोई भी बात ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी जिनमें मृत्यु हैजे या अन्य महामारी से हुई है ।

**10. स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां कहीं मृत्यु का कारण उत्पन्न हुआ हो वहां शवों पर मृत्यु-समीक्षा करने की शक्ति**—जहां किसी शरीर पर, जो किसी कारोनर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मृत पड़ा हो, मृत्यु-समीक्षा की जानी चाहिए वहां वह उक्त मृत्यु-समीक्षा करेगा, चाहे मृत्यु का हेतुक उसकी अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ हो या नहीं ।

**11. शरीर की, खोद कर निकाले जाने का आदेश देने की शक्ति**—किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उचित समय के भीतर कारोनर उसके शव को खोद कर निकाले जाने का आदेश या तो उस दशा में जब आरम्भिक मृत्यु-समीक्षण न किया गया हो, ऐसा समीक्षण करने के प्रयोजन के लिए या [2][जहां कारोनर न्याय के हित में अतिरिक्त मृत्यु-समीक्षण करना आवश्यक या वांछनीय समझता है,] वहां अतिरिक्त मृत्यु-समीक्षण करने के प्रयोजन के लिए दे सकेगा ।

**12. जूरी का समन किया जाना**—धारा 8 में उल्लिखित किसी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, कारोनर ऐसे समय और स्थान पर, जो समन में विनिर्दिष्ट किए जाएं, यह जांच करने के प्रयोजनार्थ कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु कब, कैसे और किन कारणों से हुई, अपने समक्ष हाजिर होने के लिए पांच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह या पन्द्रह सम्मानित व्यक्तियों को समन करेगा ।

**मृत्यु-समीक्षा रविवार को हो सकेगी**—इस अधिनियम के अधीन मृत्यु-समीक्षा रविवार को हो सकेगी ।

**13. न्यायालय का खोला जाना**—जब निर्दिष्ट समय आए तब कारोनर विनिर्दिष्ट स्थान पर जाएगा, उद्घोषणा द्वारा न्यायालय खोलेगा, और जूरी-सदस्यों के नाम पुकारेगा ।

**14. जूरी-सदस्यों को शपथ दिलाना**—जब पर्याप्त जूरी-सदस्य उपस्थित हों तब, वह प्रत्येक जूरी-सदस्य को साक्ष्य के अनुसार सही अधिमत देने के लिए शपथ दिलाएगा और तत्पश्चात् शव को देखने के लिए जूरी के साथ जाएगा ।

**15. शव का देखा जाना**—कारोनर और जूरी मृत्यु-समीक्षा की पहली बैठक में शव को देखेंगे और उसकी परीक्षा करेंगे, तथा कारोनर जूरी के समक्ष ऐसी टिप्पणी करेगा जिसकी शव को देखते हुए अपेक्षा की जा सकती हो :

[3][परन्तु कारोनर जूरी को बहुसंख्या को सहमति से, शव देखना उस दशा में अभिमुक्त कर सकेगा जब चिकित्सीय साक्ष्य या चिकित्सीय प्रमाणपत्रों से उसका समाधान हो गया हो कि इस प्रकार शव को देखने के परिणामस्वरूप कोई लाभ नहीं होगा ।]

**16. साक्षियों के लिए उद्घोषणा**—कारोनर तत्पश्चात् साक्षियों को हाजिर होने के लिए उद्घोषणा करेगा अथवा, जहां जांच गुप्त रूप से की जाए वहां, उन लोगों को अलग-अलग बुलाएगा जो मृत्यु के सम्बन्ध में कुछ भी जानते हों ।

**17. साक्षियों का समनित करना**—[4][मृत्यु की परिस्थितियों से अवगत सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे मृत्यु-समीक्षा के समय साक्षियों के रूप में हाजिर हों ; कारोनर ऐसी परिस्थितियों की और मृत्यु के कारणों की जांच करेगा और यदि जांच से पूर्व या उसके दौरान यह इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति, चाहे वह उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो या बाहर, कोई ऐसा साक्ष्य दे सकता है या कोई ऐसी दस्तावेज पेश कर सकता है जो मृत्यु के सम्बन्ध में तात्त्विक है तो वह समन जारी कर सकेगा जिसमें उससे मृत्यु-समीक्षा के समय हाजिर होने और साक्ष्य देने अथवा ऐसी दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ऐसे समन की अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की, यथास्थिति, धारा 174, धारा 175 या धारा 176 के अधीन अपराध किया है ।]

बन्दियों को साक्ष्य देने के लिए उपस्थित किए जाने के प्रयोजनार्थ, कारोनर, [5][बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) के भाग 9[6]] के अर्थ में दांडिक न्यायालय समझा जाएगा ।

**18. शव परीक्षा । चिकित्सीय साक्षियों को फीस का दिया जाना**—कारोनर यह निदेश दे सकेगा कि शव परीक्षा, आमाशय या आन्त्रों में मौजूद पदार्थों का विश्लेषण करके या विश्लेषण किए बिना, किसी ऐसे चिकित्सीय साक्षी द्वारा कराई जाए जो मृत्यु-समीक्षा में हाजिर होने के लिए समन किया गया है, और सरकार के रासायनिक परीक्षक से भिन्न प्रत्येक चिकित्सीय साक्षी ऐसे उचित पारिश्रमिक का हकदार होगा जो कारोनर ठीक समझे ।

---

[1] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा "के दफनाने" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा "जहां पहला अपर्याप्त था" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[4] 1881 के अधिनियम सं० 10 की धारा 6 द्वारा मूल पैराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1908 के अधिनियम सं० 4 द्वारा "1869 के अधिनियम सं० 15 (बंदियों का साक्ष्य प्राप्त करने और उनके हाजिर होने के लिए तथा उन पर आदेशिका तामील करने के लिए सुविधा की व्यवस्था करना)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] अब देखिए बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का 32) ।

[1][**18क. रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट**—कोई भी दस्तावेज, जो सरकार के किसी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक को, इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के अनुक्रम में परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए, सम्यक् रूप से प्रस्तुत की गई वस्तु या मामले पर उसकी हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु-समीक्षा में और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जा सकेगी ।]

**19. साक्ष्य का शपथ पर दिया जाना । अभियुक्त की ओर से साक्ष्य**—इस अधिनियम के अधीन दिया गया सब साक्ष्य शपथ पर होगा और कारोनर उस पक्षकार की ओर से (यदि कोई हो) साक्ष्य लेने को आबद्ध होगा जिस पर मृतक व्यक्ति की मृत्यु घटित करने का अभियोग लगाया गया है ।

**दुभाषिया**—ऐसे साक्षियों की परीक्षा, जो अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ हैं, दुभाषिए के माध्यम से की जाएगी जिसे यह शपथ दिलाई जाएगी कि वह शपथ का तथा साक्षियों से पूछे गए प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का सही-सही अनुवाद करेगा ।

**वे प्रश्न जिनका सुझाव जूरी ने दिया हो**—प्रत्येक साक्षी के परीक्षा किए जा चुकने के पश्चात्, कारोनर इस बात की जांच करेगा कि जूरी साक्षी से कोई और प्रश्न पूछना चाहती है या नहीं, और यदि जूरी चाहती है कि ऐसे कोई प्रश्न पूछे जाएं तो कारोनर तदनुसार वे प्रश्न पूछेगा ।

**20. कारोनर द्वारा साक्ष्य का लिखा जाना**—कारोनर, जूरी को दिए गए साक्ष्य के तात्त्विक भागों को लेखबद्ध रूप से तैयार करेगा और साक्षी को उन भागों को पढ़कर सुनाएगा या सुनवाएगा और उस पर साक्षी के हस्ताक्षर ले लेगा ।

**साक्षियों का अभिसाक्ष्य पर हस्ताक्षर करना**—इस प्रकार हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले किसी भी साक्षी के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 180 के अधीन अपराध किया है ।

**कारोनर द्वारा अभिसाक्ष्य पर हस्ताक्षर**—ऐसे प्रत्येक अभिसाक्ष्य पर कारोनर हस्ताक्षर करेगा ।

[2][**कारोनर का मजिस्ट्रेट होना**—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 26 के प्रयोजनों के लिए कारोनर मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।]

**21. मृत्यु-समीक्षा का स्थगन**—कारोनर मृत्यु-समीक्षा को समय-समय पर, और एक स्थान से दूसरे स्थान को, स्थगित कर सकेगा ।

**जूरी-सदस्यों के मुचलके**—जब कभी कोई मृत्यु-समीक्षा स्थगित की जाएगी, कारोनर नियत समय और स्थान पर हाजिर होने के लिए जूरी-सदस्यों के मुचलके लेगा और साक्षियों को यह सूचित करेगा कि मृत्यु-समीक्षा आगे कब और कहां होगी । ऐसे मुचलकों की धनराशि प्रत्येक मामले में कारोनर द्वारा नियत की जाएगी [3][और ऐसी संपूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग, जिसे कारोनर ठीक समझे, जूरी-सदस्यों के हाजिर न होने पर उसी रीति से वसूल किया जा सकेगा जिससे धारा 31 के अधीन अधिरोपित जुर्माना वसूल किया जाता है ।]

**22. कारोनर द्वारा जूरी के लिए सारांश तैयार करना**—जब सभी साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी हो तब कारोनर जूरी को दिए गए साक्ष्य का सारांश तैयार करेगा और तत्पश्चात् जूरी यह विचार करेगी कि उसका अधिमत क्या हो ।

**23. कारोनर द्वारा मृत्यु-समीक्षण का तैयार किया जाना**—अधिमत सुना दिए जाने के बाद कारोनर जूरी के निष्कर्षों के अनुसार, या जब जूरी एक मत न हो तब बहुमत की राय के अनुसार, मृत्यु-समीक्षण तैयार करेगा ।

**24. मृत्यु-समीक्षण की विषय-वस्तु**—इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक मृत्यु-समीक्षण पर कारोनर अपने नाम और पदाभिधान सहित हस्ताक्षर करेगा और जूरी-सदस्य भी हस्ताक्षर करेंगे तथा उसमें निम्नलिखित बातें दी जाएंगी—

(1) मृत्यु-समीक्षण कहां, कब और किसके समक्ष किया गया ;

(2) मृतक कौन था ;

(3) उसका शव कहां रखा है ;

(4) जूरी सदस्यों के नाम और यह कि वे शपथ पर मृत्यु-समीक्षण पेश कर रहे हैं ;

(5) मृतक की मृत्यु कहां, कब और किन कारणों से हुई ; और

(6) यदि उसकी मृत्यु किसी अन्य के द्वारा किए गए आपराधिक कार्य से हुई थी उसके लिए कौन दोषी है ।

यदि मृतक का नाम ज्ञात नहीं है तो अज्ञात व्यक्ति कहकर उसका जूरी-सदस्यों के समक्ष उल्लेख किया जा सकता है ।

---

[1] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[2] 1881 के अधिनियम सं० 10 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[3] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित ।

ऐसा प्रत्येक मृत्यु-समीक्षण इससे उपाबद्ध द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्ररूप में होगा जिसमें ऐसे परिवर्तन किए जा सकेंगे जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों ।

[1][**25. जहां यह पाया जाए कि मृत्यु ऐसे किसी कार्य से हुई है जो अपराध के अन्तर्गत आता है वहां प्रक्रिया**—जब जूरी या जूरी की बहुसंख्या को यह पता चले कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे कार्य से हुई थी जो [2][भारत] में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध है तब कारोनर मृत्यु-समीक्षा के तुरन्त बाद मृत्यु-समीक्षण की एक प्रति और साक्षियों के नाम तथा पते पुलिस आयुक्त को भेज देगा ।

[3][**26. गिरफ्तार करने तथा विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति**—कारोनर, जहां अधिमत की दृष्टि से उसका वैसा करना न्यायोचित हो, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट भी निकाल सकेगा जिसके बारे में यह पाया गया हो कि उसने मृत व्यक्ति की मृत्यु घटित की है और तत्काल उसे ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा जो उसकी विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त हो ।]

**27. [जनामत प्रतिग्रहण करने की शक्ति ।]**—करोनर (संशोधन) अधिनियम, 1908 (1908 का 4) की धारा 10 द्वारा निरसित ।

**28. व्ययन के लिए अधिपत्र**—जब कार्यवाहियां बंद की जा चुकी हों तब, या उसके पहले ही, यदि मृत्यु-समीक्षा स्थगित करना आवश्यक हो तो, कारोनर उस शव [4][की अन्त्येष्टि] क्रिया के लिए अपना अधिपत्र देगा जिस पर मृत्यु-समीक्षा की गई है ।

**29. प्रक्रिया के अभाव में मृत्यु-समीक्षण को अभिखंडित न किया जाना**—किसी मृत्यु-समीक्षा पर आधारित या मृत्यु-समीक्षा द्वारा प्राप्त मृत्यु-समीक्षण किसी तकनीकी त्रुटि के कारण अभिखंडित नहीं किया जाएगा ।

**मृत्यु-समीक्षण में संशोधन**—तकनीकी त्रुटि के किसी मामले में यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ठीक समझे तो वह यह आदेश दे सकेगा कि मृत्यु-समीक्षण में संशोधन किया जाए, और यह संशोधन तदनुसार तत्काल कर दिया जाएगा ।

**30. निखात निधि, ध्वंसावशेष आदि के बारे में अधिकारिता का समाप्त होना**—इस बात की जांच करने का कि कोई व्यक्ति, जो अपने ही कृत्य से मरा है, आत्मघाती था या नहीं, निखात निधि या ध्वंसावशेषों का पता चलाने का, किसी फरार व्यक्ति का सामान अभिगृहीत करने का, आदेशिका निष्पादित करने का, या कारोनर के रूप में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने का, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त नहीं है, कारोनर का कर्तव्य नहीं होगा ।

**आत्मघासी**—आत्मघाती का अपना सामान समपहृत नहीं होगा ।

**देवदण्ड**—देवदंड इसके द्वारा समाप्त किए जाते हैं ।

**अध्याय 4**

## करोनरों की जूरी

**31. हाजिर होने में उपेक्षा करने वाले जूरी-सदस्य पर जुर्माना**—जब कभी किसी व्यक्ति को किसी कारोनर ने जूरी-सदस्य के रूप में हाजिर होने के लिए सम्यक् रूप से समन किया हो और वह समन में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर हाजिर नहीं होता या हाजिर होने में उपेक्षा करता है तब कारोनर उसे हाजिर होने और जूरी के रूप में कार्य करने के लिए अपने न्यायालय में खुले तौर से तीन बार आहूत करवा सकेगा ; और ऐसे व्यक्ति के हाजिर न होने पर और इस बात का सबूत होने पर कि ऐसा समन उस पर तामील किया जा चुका है या उसके रहने के सामान्य स्थान पर छोड़ा जा चुका है, व्यतिक्रमी व्यक्ति पर पचास रुपए से अनधिक का उतना जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जितना कारोनर ठीक समझे ।

**32. व्यतिक्रम करने वाले जूरी सदस्य के बारे में प्रमाणपत्र**—कारोनर एक ऐसा प्रमाणपत्र तैयार करेगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें इस प्रकार व्यतिक्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और कुलनाम, उसका निवास-स्थान और व्यापार या उपजीविका, और इस प्रकार अधिरोपित किए गए जुर्माने की रकम और उस जुर्माने का कारण भी दिया जाएगा,

और वह उक्त प्रमाणपत्र को उस क्षेत्र के, जिसका वह कारोनर है, मजिस्ट्रेटों में से एक को, भेज देगा,

**प्रमाणपत्रों की प्रति की तामील**—और उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति उस व्यक्ति पर, जिस पर जुर्माना किया गया है, उसके निवास के सामान्य स्थान पर रखवा कर, या उस पर यथापूर्वोक्त पता लिखकर तथा उसे रजिस्ट्री कराकर डाक द्वारा भेजकर तामील करवाएगा ।

**33. जुर्माने का उद्ग्रहण**—तदुपरि वह मजिस्ट्रेट जुर्माना इस रीति से उद्गृहीत करवाएगा मानो वह स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित किया गया हो ।

**34. जूरी-सदस्यों का वर्ष में दो बार समन न किया जाना**—जब तक आवश्यकता न हो तब तक, कोई भी व्यक्ति, जो किसी मृत्यु-समीक्षा में जूरी-सदस्य के रूप में हाजिर हुआ है या समन किया गया है और जिसने कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, ऐसे हाजिर होने

---

[1] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 8 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 9 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा "के दफनाने की" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या समन होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम के अधीन जूरी-सदस्य के रूप में हाजिर होने के लिए समन नहीं किया जाएगा ।

**35. बंदी के शरीर पर मृत्यु-समीक्षा के लिए जूरी-सदस्य**—जब किसी कारागार में मरने वाले किसी बन्दी के शरीर पर कोई मृत्यु-समीक्षा की जाए तब कारागार का कोई भी अधिकारी और वहां परिरुद्ध कोई भी बन्दी ऐसी मृत्यु-समीक्षा के लिए जूरी-सदस्य नहीं होगा ।

**अध्याय 5**

## कारोनरों के अधिकार और दायित्व

**36. कारोनरों का वेतन**—प्रत्येक कारोनर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उस वेतन का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया गया है ।

**37. संवितरित राशियों का प्रतिसंदत्त किया जाना**—चिकित्सीय साक्षियों की फीस, जूरी-सदस्यों के लिए कमरों के किराए, और वैसे ही अन्य खर्चों के लिए कारोनर द्वारा सम्यक् रूप से संवितरित की गई सभी धनराशियां उसे राज्य सरकार द्वारा प्रतिसंदत्त की जाएंगी ।

**38. उपपदीय को नियुक्त करने की शक्ति**—प्रत्येक कारोनर, मृत्यु-समीक्षाएं आयोजित करने में अपने उपपदीय के रूप में कार्य करने के निमित्त किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को, अपने हस्ताक्षरयुक्त लेख द्वारा, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगा ।[1]***

ऐसे किसी उपपदीय द्वारा ऐसी किसी नियुक्ति के अधीन या उसके आधार पर की गई सभी मृत्यु-समीक्षाएं तथा अन्य कार्य उसे नियुक्त करने वाले कारोनर के कार्य समझे जाएंगे :

परन्तु ऐसा कोई भी उपपदीय, उक्त कारोनर की बीमारी के दौरान, या किसी विधिपूर्ण या उचित कारण से उसकी अनुपस्थिति में कार्य करने के सिवाय, कार्य नहीं करेगा ।

**नियुक्ति का प्रतिसंहरण**—ऐसी प्रत्येक नियुक्ति किसी भी समय उस कारोनर द्वारा, जिसने वह नियुक्ति की थी, रद्द और प्रतिसंहृत की जा सकेगी ।

**39. जूरी के रूप में सेवा करने से छूट**—कोई भी कारोनर या उपकारोनर जूरी-सदस्य के रूप में सेवा करने के दायित्वाधीन नहीं होगा ।

**40. गिरफ्तारी के विरुद्ध विशेष अधिकार**—कारोनर और उपकारोनर को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि जब वे अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लगे हों तब उन्हें गिरफ्तार न किया जाए ।

**41. अधिनियम का अनुपालन न करने पर शास्ति**—इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला अथवा अन्यथा अपने पद के निष्पादन में अवचार बरतने वाला कोई भी कारोनर या उपकारोनर, संक्षिप्त परीक्षा पर और असफलता या अवचार साबित हो जाने पर उतने जुर्माने से दंडनीय होगा जितना जुर्माना अधिरोपित करना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति ठीक समझे ।

**42. वादों की परिसीमा**—इस अधिनियम के अधीन की गई किसी भी बात के लिए या उसके उपबंधों का अनुपालन करने में हुई किसी भी असफलता के लिए कोई भी कार्यवाही [2]*** पर्याप्त अभितुष्टियां किए जाने के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जाएगी या चलती नहीं रखी जाएगी ।

प्रथम अनुसूची—[**अधिनियमों का निरसन ।**]—निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित ।

## द्वितीय अनुसूची

## मृत्यु-समीक्षण का प्ररूप

छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ और ण त द्वारा शपथ पर, जो उन्हें उसी समय सम्यक् रूप से दिलाई गई थी, और जिन्हें यह जांच करने का भार सौंपा गया था कि क ख की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई और किन कारणों से हुई [3][मृतक क ख के मामले में] .....के कारोनर ङ च के समक्ष .....में.....के दिन मृत्यु समीक्षण किया गया ।

---

[1] 1873 के अधिनियम सं० 18 द्वारा "और ऐसा उपपदीय व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपने पद कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेगा और अभिदाय करेगा" शब्द निरसित किए गए ।

[2] 1871 के अधिनियम सं० 9 द्वारा "ऐसे तथ्य या असफलता से तीन महीने के अवसान के पश्चात्" शब्द निरसित किए गए ।

[3] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 12 द्वारा "उसी समय क ख के मृत पड़े शरीर को देखने पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

हमारा, जो उक्त जूरी-सदस्य हैं, एकमत से या .....के बहुमत से यह निष्कर्ष है कि उक्त क ख की मृत्यु .....के .....दिन को, या उसके लगभग, निम्नलिखित कारणों से (यहां मृत्यु का कारण लिखिए जैसा निम्नलिखित उदाहरणों में दिया गया है) हुई ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | [मानववध के मामले] | — छड़ी से सिर पर आघात, जो ग घ द्वारा उन परिस्थितियों में किया गया जिनमें ग घ का कार्य न्यायोचित (या आकस्मिक) मानववध था । |
| | | — ग घ द्वारा चाकू से उसके हृदय पर ऐसी परिस्थितियों में किया गया प्रहार, जिसमें ग घ का कार्य हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध था (या हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध था, या हत्या की कोटि में न आने वाला उतावलेपन से भरा हुआ या उपेक्षापूर्ण कार्य था) । |
| 2. | [दुर्घटना के मामले] | — नाव से हुगली नदी में गिर कर डूब गया था । |
| | | — घोड़े द्वारा एड़ मारने से उसकी खोपड़ी टूट गई और सिर में रक्त-शिराएं फट गईं । |
| 3. | [आत्महत्या के मामले] | — सिर में पिस्तौल से गोली चलाकर अपनी हत्या की । |
| | | — संखिया (आर्सीनिक) जो उसने स्वेच्छया खा लिया था । |
| 4. | [अज्ञात कारणों से आकस्मिक मृत्यु के मामले] | — हृदय रोग । |
| | | — रक्ताघात । |
| | | — लू लगना । |

और इस प्रकार पूर्वोक्त शपथ पर जूरी-सदस्यों का यही कहना है ।

हमारे हस्ताक्षरों सहित साक्ष्य

.....का कारोनर ङ च

छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त (जूरी-सदस्य)

———